रा.प्र.क्र. 202507042600019
81-62/2024-25/खम्हरिया
आदेश दिनांक 16-07-2025

प्रारूप–ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

श्री प्रवीन्द्र दुबे
सहायक महाप्रबंधक,
जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड 4/6
तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

विशयः– निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की विदोहन हेतु अनुज्ञा।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 20.12.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड 4/6 कोल ब्लॉक में प्रभावित ग्राम खम्हरिया के निजी भूमि कुल खसरा 104 कुल रकबा 28.997 हेक्टेयर पर स्थित कुल 1167 विभिन्न प्रकार वृक्षों के विदोहन की अनुज्ञा चाही गई है जिसके संबंध में संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्ररुप'ख' में तहसीलदार तमनार एंव वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र तमनार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर कटाई हेतु वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1. सभी वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष है।
2. रोपित वृक्षों की प्रजाति संख्या निरंक है।
3. शुष्क वृक्षों की प्रजाति संख्या निरंक है।
4. परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या 1167 है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड 4/6 कोल ब्लॉक में प्रभावित ग्राम खम्हरिया स्थित निजी भूमि कुल खसरा 104 कुल रकबा 28.997 हेक्टेयर में स्थित विभिन्न प्रजाति के कुल 1167 वृक्ष (मार्किंग बुक संलग्न) है, को विदोहन किए जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना कमांक आर/363/2023/7–1 दिनांक 06 जुलाई 2023 के अनुसार जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड कोल ब्लॉक में प्रभावित ग्राम खम्हरिया स्थित भमि कुल रकबा 28.997 हेक्टेयर पर स्थित कुल 1167 वृक्षों को तहसीलदार/नायब तहसीलदार घरघोड़ा की उपस्थिति एवं आवेदक विभाग के प्रतिनिधि की निगरानी में वन विभाग द्वारा कुल 1167 वृक्षों को विदोहन किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

(हस्ताक्षर)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा जि.रायगढ़(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner